भोलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد प्रांची أردويونيورشي MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY

(संसद के अधिनियम १९९८ द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय) (राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा "ए" ग्रेड प्राप्त)

No. MANUU/H.C/2021/1025

Date: 25 January, 2021.

CIRCULAR

SECTION 3(3) OF OFFICIAL LANGUAGES ACT, 1963, both Hindi and English shall be used for all official work in the offices controlled by the Central Government.

Under section 3(3) of the Official Language Act, Resolutions, General Orders, Rules, Notifications, Administrative and Other Reports, Press Communiqués, Administrative and Other Reports and Official Papers to be laid before a House or Houses of Parliament, Contract, Agreements, Licenses, Permits, Tender Notices and Forms of Tender should invariably be, issued bilingually. For any violation, the officer signing such documents will be held responsible.

Accordingly, all the Deans/Heads of the Department / Section Heads / Incharge are here by requested to take note of the above provisions under Official Language Act, 1963 in regard to their official work.

In case of any assistance in Hindi, Hindi Cell may be contacted.

Registrar I/c

All Deans/HoDs/Directors of the Centres and Directorates/ Principals/ Incharges/ Central Library/ Section Heads / Satellite Campuses (Teaching and Non-Teaching), Regional Centres, Sub-Regional Centres, Proctor, Provost (Boys & Girls)

Copy To:

- 1. O/o V.C/Registrar/F.O/COE/Librarian.
- 2. Director, CIT for uploading on University Website
- 3. Concerned file

Hindi Version follows

मोलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد ليشل اُردويونيورشي MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY



(संसद के अधिनियम १९९८ द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय) (राष्ट्रीय मुल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा "ए" ग्रेड प्राप्त)

सं. मानू/हिन्दी प्रकोष्ठ/2021/1025

दिनांक- 25 जनवरी, 2021.

परिपत्र

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुसार केन्द्र सरकार के द्वारा नियंत्रित कार्यालयों में सभी कार्यालयी कार्य द्विभाषी रूप हिन्दी और अंग्रेज़ी में होंगें।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञा-पत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र द्विभाषिक रूप में, अंग्रेज़ी और हिन्दी दोनों में जारी किए जाएं। किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

तदनुसार, सभी संकायाध्यक्षों / विभागाध्यक्षों / अनुभाग अध्यक्षों / प्रभारी से अनुरोध है कि, राजभाषा अधिनियम, 1963 के अंतर्गत वह अपने आधिकारिक कार्यों के संबंध में उपरोक्त प्रावधानों पर ध्यान दें।

यदि हिन्दी में सहायता की आवश्यकता हो तो, हिन्दी प्रकोष्ट से संपर्क किया जा सकता है।

प्रभारी कुलसचिव +

सभी संकायाध्यक्षों / विभागाध्यक्षों/ केन्द्रों एवं निदेशालय के निदेशकों/ प्रधानाचार्य/ प्रभारी/ केन्द्रीय पुस्तकालय/ अनुभाग अध्यक्षों/ सटैलाइट कैम्पस(शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक), क्षेत्रीय केन्द्रों, उप-क्षेत्रीय केन्द्रों, कुलानुशासक, प्रोवोस्ट(पुरूप एवं महिला)

कुलपति/ कुलसचिव/वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक/ पुस्तकालयाध्यक्ष कार्यालय 1.

निदेशक, सीआईटी (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ) 2.

संबंधित फाइल